41–(08)–18–2017

पटना में दिनांक–21 नवम्बर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

1. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरण के विनियमन हेतु निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम–29) की धारा–25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 में संशोधन किए जाने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस०एल०पी० सं०–204/2010 एवं इससे उत्पन्न सिविल अपील सं०–857/2016 में दिनांक–03.02.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों में से दो पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति तिथि से बिहार पुलिस सेवा में पुनः नियुक्ति के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के स्टाफ ऑफिसर में उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति देने हेतु दिनांक–10.06.2014 से दोनों पदाधिकारियों के बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के कार्य काल तक के लिये स्टाफ ऑफिसर के दो अधिसंख्य पदों की सृजन की स्वीकृति।

2. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

3. दोन शाखा नहर के वि०दू० 0.00 से वि०दू०–307.50 तक पुनर्स्थापन कार्य तथा त्रिवेणी शाखा नहर के वि०दू० 0.00 से वि०दू० 472.00 तक के बीच विभिन्न बिन्दुओं पर अवस्थित संरचनाओं का मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य [प्राक्कलित राशि रू० 8173 लाख (एकासी करोड़ तिहत्तर लाख) मात्र] की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

3. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

4. वर्ष 2017 में अप्रत्याशित वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पूर्वी कोशी नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य की प्राक्कलित राशि–रूपये 5042.873 लाख (पचास करोड़ बयालिस लाख सतासी हजार तीन सौ रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

4. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. सुपौल जिलान्तर्गत राघोपुर अंचल के मौजा–धरहरा, थाना सं०–128, खाता सं०–136, खेसरा–1677, 1678, रकबा–4.46 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि पर पावरग्रीड की स्थापना हेतु 9,000/–(नौ हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 40,14,000/–(चालीस लाख चौदह हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य अर्थात 50,17,500/– (पचास लाख सतरह हजार पाँच सौ) रू० सहित कुल–90,31,500/– (नब्बे लाख एकतीस हजार पाँच सौ) रू० के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। 5. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालयों में विश्व बैंक संपोषित केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यान्वयन कार्यक्रम–तृतीय चरण (TEQIP, Phase-III)" का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रति संस्थान रू० 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात् कुल रू० 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

7. मुख्यमंत्री वृहद् सहायता छत्र–योजना स्वीकृत करने के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

8. मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र–योजना स्वीकृत करने के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

9. मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र– योजना स्वीकृत करने के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

10. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र–योजना स्वीकृत करने के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

11. समेकित बाल विकास छत्र–योजना स्वीकृत करने के संबंध में। 11. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

12. पथ प्रमंडल, मधेपुरा अंतर्गत बैजनाथपुर से गम्हरिया भाया लिटियाही पथ के कि०मी० 0.00 से 32.30 (कुल–32.30 कि०मी० पथांश) में क्रॉस ड्रेन एवं पथ अनुरक्षण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 9953.04 लाख (निनान्वे करोड़ तिरपन लाख चार हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 12. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(कारा)

13. बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (Bihar Institute of Correctional Administration Society, Hajipur) के सुचारू संचालन हेतु संविदा के आधार पर आवश्यक पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित पदों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में। 13. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

14. वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण सह–पुनर्वासन (Surrender-cum-Rehabilitation) योजना (संकल्प ज्ञापांक–11144 दिनांक 12.12.2013 द्वारा प्रवृत्त) को राज्य सरकार के अपने संसाधन से दिनांक–31.03.2016 के पश्चात् प्रभावी बनाए रखने के संबंध में। 14. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

15. बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में। 15. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

17. ₹ 78.87 करोड़ (अठहत्तर करोड़ सतासी लाख रूपये) की लागत पर द्वारका, नई दिल्ली में प्रस्तावित "बिहार सदन" के निर्माण कार्य के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

18. वित्तीय वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वेतन (माह जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक) के भुगतान हेतु केन्द्रांश की राशि प्राप्ति की प्रत्याशा में अग्रिम रूप में राज्यांश की राशि ₹6,84,05,94,632 (छः अरब चौरासी करोड़ पाँच लाख चौरान्बे हजार छः सौ बत्तीस रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। 18. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(सैनिक कल्याण निदेशालय)

19. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2016 के नियम 4 के उपनियम (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त नियमावली 2016 के नियम 4 के अधीन भर्ती हेतु पात्रता मानदंड एवं चयन प्रक्रिया अपनाने की स्वीकृति के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

20. बिहार राज्य में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्यनिषेध) के एक गैर संवर्गीय पद का सृजन, पुलिस अधीक्षक (ओ०एस०डी०), अपराध अनुसंधान विभाग के पद को पुलिस अधीक्षक (मद्यनिषेध) के रूप में परिवर्तित करने एवं पुलिस मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न कोटि के 68 अनुषंगी पदों को प्रत्यर्पित कर अपराध अनुसंधान विभाग में उसी कोटि के उतने ही पद सृजित करने की स्वीकृति।

20. **स्वीकृत।**